

19/8/2020

पत्रावली: पेरा हुई। वाद पत्र में प्रार्थना पत्र फ़ैसल करने  
मुकदमा पेरा किया गया है। वाद पत्र में पेरा पूर्व में प्रार्थना  
पत्र में प्रार्थना व जेब डायविवर में कथन दिने दि प्रार्थना  
व अग्रार्थिता लब्ध। के मध्य शत्रिनाम हो गया है। मोयु 3।  
वाद पत्र / प्रार्थना पत्र 72 में किसी उमर की कोई कार्यवाही  
नहीं पाई है। अब पक्षकारान के मध्य किसी उमर  
का कोई विवाद नहीं होने के कारण उपरोक्त प्रार्थना पत्र  
72 व वाद पत्र को खारिज करना आवश्यक व न्याय  
संगत है। उपरोक्त वाद पत्र व प्रार्थना पत्र 72 खारिज  
करावे। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र फ़ैसल करने  
मुकदमा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। तथा  
प्रार्थना पत्र 72 व वाद पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर  
पर ड्रॉप कर खारिज किया जाता है। मिसल फ़ैसल  
सुमार होकर नम्बर से कम है। वाद फ़ायर दाखिल है।



(मोहनलाल खन्नावलिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर) राज.

